सी॰बी॰ (दो) सं॰ 392

लोक सभा

मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक, 1993,
राज्य सभा द्वारा यथापारित

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

(21 दिसम्बर, 1993 को प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसम्बर, 1993/अग्रहायण, 1915 (शक)

मूल्य: 16.00 रुपये

मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक, 1993, राज्य सभा द्वारा यथापारित, से संबंधित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का शुद्धि-पत्र ।

पृष्ठ	पैरा	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(i)			अंत में जोड़िए अनुबंध ...	19
(iv)	9	1	समिति	सीमित
(iv)	11	2	के व्यवस्था	की व्यवस्था
(iv)	11	3	राज्य	राज्य क्षेत्रों
(v)		14	दिसम्बर, 1993	20 दिसम्बर, 1993 29 अग्रहायण, 1915(श)
1		8	विनियमि	विनियमित
2		17	राज्य क्षेत्र	राज्य क्षेत्र में
3		15	प्रतिरोषण	प्रतिरोपण
7		35	कालिमत का लोप करें	
7		37	अध्युपाय	उपाय
8		21	अस्पता	अस्पतालों को
8		अंतिम	के समिति के आदेश द्वारा व्यक्ति कोई व्यथित	समिति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति
9		5	को अपील	अपील
11		11	सुसगत	सुसंगत
11	24(2)(क)	3	मत्य	मृत्यु
11	24(2)(घ)	2	अदावकृत	अदावाकृत
16		4	16·50	16·30
16	4	1	अन्नितम	अनंतिम
17		12	कनोजिया	कनौजिया
17		13	पांडे	पाण्डेय
18	4	3	समाप्ती	समाप्ति

विषय सूची

पृष्ठ

1. समिति की रचना .... (iii)

2. प्रवर समिति का प्रतिवेदन .... (iv)

3. प्रवर समिति द्वारा यथा प्रस्तुत विधेयक 1

परिशिष्ट — एक — विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव 14

परिशिष्ट — दो — प्रवर समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश 15

मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक, 1993, राज्य सभा द्वारा यथापारित, संबंधी प्रवर समिति

समिति की रचना

श्री पीटर जी॰ मरबनिआंग—सभापति

सदस्य

2. डा॰ कृपासिंधु भोई
3. प्रो॰ सुशान्त चक्रवर्ती
4. श्री शरद दिघे
5. श्रीमती सरोज दुबे
6. श्री भूपेन्द्र सिंह हूड्डा
7. श्री खेलन राम जांगड़े
8. डा॰ के॰ डी॰ जेस्वाणी
9. श्री दाउ दयाल जोशी
10. डा॰ जी॰ एल॰ कनोजिया
11. डा॰ रवि मल्लू
12. डा॰ श्रीमती पद्मा
13. डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय
14. डा॰ बसन्त पवार
15. श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन
16. श्री वेंकटेश्वर जी॰ राव
17. श्री रोशन लाल
18. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री
19. श्री विश्वनाथ शास्त्री
20. डा॰ सी॰ सिल्वेरा

*21. डा॰ आर॰ श्रीधरन

सचिवालय

1. श्री जी॰ एल॰ बत्रा — अपर सचिव
2. श्री एस॰ सी॰ गुप्ता — संयुक्त सचिव
3. श्री आर॰ के॰ चटर्जी — उप सचिव
4. श्री राम कुमार — अवर सचिव

विधायी परामर्शदाता

श्री पी॰ सी॰ राय, उप विधायी परामर्शदाता

परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि

1. श्री आर॰ एल॰ मिश्रा, सचिव (स्वास्थ्य)
2. श्री बी॰ एस॰ लाम्बा, संयुक्त सचिव
3. डा॰ एस॰ नंदी प्रोफेसर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान।

---

*डा॰ आर॰ के॰ जी॰ राजुलु द्वारा त्याग पत्र दिए जाने के कारण उनके स्थान पर 17.12.1993 को नियुक्त किए गए।

मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक, 1993, राज्य सभा द्वारा यथापारित, संबंधी प्रवर समिति का प्रतिवेदन

मैं, प्रवर समिति का सभापति, जिसे यह विधेयक—मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक, 1993 राज्य सभा द्वारा यथापारित भेजा गया था, समिति द्वारा अपनी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित 11 मई, 1993 को लोक सभा के पटल पर रखा गया। श्री पवन सिंह घाटोवार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री ने 11 दिसम्बर, 1993 को लोक सभा में विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा और यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। (परिशिष्ट-एक)

3. समिति की कुल पांच बैठकें हुई।

4. समिति ने अपनी 14 दिसम्बर, 1993 को हुई पहली बैठक में विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर आम चर्चा की।

5. समिति को 18 दिसबर, 1993 तक सभा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया। तथापि, समिति के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि 21 दिसम्बर, 1993 तक बढ़ा दी गई।

6. समिति ने अपनी 16 और 17 दिसम्बर, 1993 की बैठकों में सदस्यों द्वारा संशोधन के लिए भेजी गयी सूचनाओं के आधार पर विधेयक के उपबंधों पर खण्डवार चर्चा की।

7. समिति ने 20 दिसम्बर, 1993 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकृत किया।

8. विधेयक में प्रस्तावित मूल परिवर्तनों के बारे में समिति की टिप्पणियों का विस्तृत ब्यौरा उत्तरोत्तर पैराओं में दिया गया है।

खण्ड 2 का उप-खण्ड (एक)—परिभाषाएं

9. समिति महसूस करती है कि उप-खण्ड में "निकट संबंधी" पद की जो परिभाषा दी गई है, वह बहुत ही समिति है, क्योंकि इसमें केवल पति/पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई अथवा बहन ही आते हैं। समिति की राय है कि "निकट संबंधी" शब्द का अर्थ व्यापक बनाया जाना चाहिए ताकि इसमें दामाद, ससुर, सास और जीजा/साला भी शामिल किया जा सके। उप-खण्ड तदनुसार संशोधित कर दिया गया है।

खण्ड 2 के उप-खण्ड (ट) (II) के बाद एक नया पैरा (III) अंतःस्थापित करना

10. इस विधेयक में किसी दाता द्वारा उपगत कोई व्यय या उपार्जनों की हानि जहां तक इसका संबंध युक्तियुक्ततः और प्रत्यक्षतः उसके द्वारा अपने शरीर से किसी अंग प्रदाय में "संदाय" से छूट देने का प्रावधान है। समिति की राय है कि "संदाय" शब्द से किसी दाता का अंग निकालने से पूर्व अथवा पश्चात् उसके उपचार पर किए गए व्यय को भी विशेष रूप से निकाल दिया जाना चाहिए। तदनुसार, उप-खण्ड (ट) के पैरा (दो) के पश्चात् एक नया पैरा (III) अंतःस्थापित कर दिया गया है।

खण्ड I का उप खण्ड (3)—लागू होना

11. इस विधेयक में केन्द्र सरकार को गोवा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों में इस अधिनियम को लागू करने के लिए अधिसूचना द्वारा कोई तिथि नियत करने की शक्ति प्रदान करने के व्यवस्था है। कुछ सदस्यों ने यह राय व्यक्त की है कि तीन राज्यों और संघ राज्य दोनों में ही इस अधिनियम को लागू करने से वह प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा जिसके लिए यह कानून बनाया जा रहा है। मानव अंगों का अनैतिक वाणिज्यिक लेन-देन उन अन्य राज्यों में होता रहेगा जहां पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। अतः विधेयक में एक वर्ष की समय सीमा निर्धारित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए जिसमें यह अधिनियम उन सभी राज्यों में लागू हो जायेगा जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (I) के अन्तर्गत इस संबंध में संकल्प पारित करके इस अधिनियम को अपनाते हैं। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि इस तरह के आदर्श विधान से जनमत बनाने और अन्य राज्यों पर नैतिक दबाव डालने में सहायता मिलेगी तथा इससे वह अन्य राज्य सरकारों को इस संबंध में एक संकल्प अपनाने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। समिति चाहती है कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वित प्रयास करना चाहिए कि अन्य राज्य, विशेष रूप से बड़े राज्य निर्धारित समय-सीमा में इस अधिनियम को अंगीकार करने के लिए संकल्प पारित करें।

खण्ड 13—उपयुक्त प्राधिकारी

12. खण्ड 13 में इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय/राज्य सरकारों को एक अथवा अधिक अधिकारियों की उपयुक्त प्राधिकारियों के रूप में अधिसूचना द्वारा नियुक्ति करने हेतु शक्ति प्रदान की गई है। समिति का यह विचार है कि उपयुक्त प्राधिकारियों में दो अधिकारी से कम नहीं होने चाहिए। इस बात को अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

खण्ड 14—अस्पतालों का रजिस्ट्रीकरण

13. समिति देखती है कि खण्ड 14 के उप-खण्ड (I) में यह प्रावधान है कि किसी मानव अंग के निकाले जाने, भंडारकरण या प्रतिरोपण से संबंधित किसी क्रियाकलाप में लगा प्रत्येक अस्पताल का इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन मास की समाप्ति पर किसी ऐसे क्रियाकलाप में लगा रहना समाप्त हो जाएगा, जब तक कि ऐसे अस्पताल में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन न किया हो और इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत न हो या तब तक, जब तक कि ऐसे आवेदन का निपटारा न कर दिया गया हो, इनमें से जो भी पहले हो।

14. विधेयक में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का निपटारा करने हेतु किसी समय सीमा का प्रावधान नहीं किया गया है। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बतांया कि इस प्रकार की समय-सीमा का प्रावधान अधिनियम के अंतर्गत बनाये जाने वाले नियमों में किया जा सकता है। समिति यह सिफारिश करती है कि सभी प्रकार से पूर्ण किसी आवेदन पत्र की प्राप्ति के पश्चात् उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के निपटान के लिए नियमों में 90 दिन से अनधिक का समय-सीमा का प्रावधान किया जाना चाहिए।

15. प्रवर समिति सिफारिश करती है कि विधेयक को यथासंशोधित रूप में पारित किया जाये।

पीटर जी॰ मरबनिआंग
सभापति,
मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक, 1993,
राज्य सभा द्वारा यथापारित
संबंधी प्रवर समिति।

नई दिल्ली;
दिसम्बर, 1993
———————
अग्रहायण, 1915 (शक)

मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक, 1993

(प्रवर समिति की रिपोर्ट के अनुसार)

खंडों का क्रम

अध्याय 1

प्रारंभिक

खंड

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

मानव अंगों के निकाले जाने का अधिकार

3. मानव अंगों के निकाले जाने का प्राधिकार ।
4. कुछ दशाओं में मानव अंगों के निकाले जाने का प्राधिकार न दिया जाना
5. अस्पताल या कारागार में लावारिस शवों की दशा में मानव अंगों के निकाले जाने का प्राधिकार ।
6. चिकित्सा-विधिक या विकृति विज्ञान के प्रयोजनों के लिए शव-परीक्षण के लिए भेजे गए शवों से मानव अंगों के निकाले जाने का प्राधिकार ।
7. मानव अंगों का परिरक्षण ।
8. व्यावृत्ति ।
9. मानव अंगों के निकाले जाने और प्रतिरोपण पर निर्बन्धन ।

अध्याय 3

अस्पतालों का विनियमन

10. मानव अंगों के निकाले जाने, भंडारकरण या प्रतिरोपण को संचालित करने वाले अस्पतालों का विनियमन ।
11. मानव अंगों के चिकित्सीय प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए निकाले जाने या प्रतिरोपण पर प्रतिषेध ।
12. दाता और प्राप्तिकर्ता को प्रभावों, आदि के बारे में स्पष्ट करना ।

अध्याय 4

समुचित अधिकारी

13. समुचित प्राधिकारी ।

अध्याय 5

अस्पतालों का रजिस्ट्रीकरण

14. मानव अंगों के निकाले जाने, भंडारकरण या प्रतिरोपण में लगे अस्पतालों का रजिस्ट्रीकरण ।

खंड

15. रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र ।

16. रजिस्ट्रीकरण का निलंबन या रद्दकरण ।

17. अपील

अध्याय 6

अपराध और शास्तियां

18 प्राधिकार के बिना मानव अंग के निकाले जाने के लिए दंड ।

19. मानव अंगों में वाणिज्यिक व्यवहार के लिए दंड ।

20. इस अधिनियम के किसी भी अन्य उपबंध के उल्लंघन के लिए दंड ।

21. कंपनियों द्वारा अपराध ।

22. अपराध का संज्ञान ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

23. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

24. नियम बनाने की शक्ति ।

25. निरसन और व्यावृत्ति ।

[पार्श्व रेखांकित शब्द उन संशोधनों के द्योतक है जिनका सुझाव समिति ने दिया है]

1992 का विधेयक संख्यांक 69

(दि ट्रांसप्लांटेशन ग्रॉफ ह्यूमेन ग्रार्गन्स बिल, 1993 का हिंदी अनुवाद)

मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक, 1993

(प्रवर समिति की रिपोर्ट के अनुसार)

मानव अंगों के चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए निकाले जाने, भंडारकरण
और प्रतिरोपण को विनियमित करने के लिए और मानव
अंगों में वाणिज्यिक व्यवहार का निवारण करने
तथा उनसे संसक्त या उनके आनुषंगिक
विषयों का उपबन्ध
करने के लिए
विधेयक

मानव अंगों के चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए निकाले जाने, भंडारकरण और प्रतिरोपण का विनियमन करना और मानव अंगों में वाणिज्यिक व्यवहार का निवारण करना समीचीन है;

और संसद् को संविधान के अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 में यथा उपबन्धित के सिवाय पूर्वोक्त किसी विषय के बारे में राज्यों के संबंध में विधियां बनाने की कोई शक्ति नहीं है

और गोवा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के विधान मंडलों के सभी सदनों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अनुसरण में, इस आशय के संकल्प पारित किए गए हैं कि संसद् द्वारा विधि बनाकर पूर्वोक्त विषयों को उन राज्यों में विनियमित किया जाना चाहिए

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1993 है ।

(2) यह प्रथमतः गोवा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के सम्पूर्ण राज्यों और सभी संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होगा और यह ऐसे अन्य राज्य को भी लागू होगा जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अधीन इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा इस अधिनियम को अंगीकार करता है ।

(3) यह गोवा, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में तथा संघ राज्यक्षेत्रों में उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और ऐसे किसी अन्य राज्य में, जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (1) के अधीन इस अधिनियम को अंगीकार करता है, ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसको वह ऐसे अंगीकार किया जाता है; और किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में इस अधिनियम में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको यह अधिनियम ऐसे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र-प्रवृत्त होता है ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "विज्ञापन" के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का विज्ञापन है, चाहे वह साधारणतः जनता के लिए या जनता के किसी वर्ग के लिए हो या व्यष्टिक रूप से चुने हुए व्यक्तियों के लिए हों ;

(ख) "समुचित प्राधिकारी" से धारा 13 के अधीन नियुक्त समुचित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "प्राधिकरण समिति" से धारा 9 की उपधारा (4) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(घ) "मस्तिष्क-स्तंभ मृत्यु" से वह प्रक्रम अभिप्रेत है जिस पर मस्तिष्क स्तंभ के सभी कृत्य स्थायी रूप से और प्रत्यावर्तित रूप से बंद हो जाते हैं और जो धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन उस रूप में प्रमाणित की गई है;

(ङ) "मृत व्यक्ति" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसमें सजीव जन्म होने के पश्चात् किसी भी समय मस्तिष्क-स्तंभ मृत्यु के कारण या हृदय-फुप्फुस अंवेदन में जीवन होने के स्थायी रूप से सभी प्रमाण समाप्त हो जाते हैं ;

(च) "दाता" से कम से कम अठारह वर्ष की आयु का ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 3 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपने किसी मानव अंग के चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए निकाले जाने का स्वेच्छया प्राधिकार देता है;

(छ) "अस्पताल" के अंतर्गत चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए कोई परिचर्यागृह, क्लिनिक, चिकित्सा केन्द्र, चिकित्सा या अध्यापन संस्था और उसी प्रकार की अन्य संस्था भी है ;

(ज) "मानव अंग" से मानव शरीर का कोई ऐसा भाग अभिप्रेत है जिसमें संरचनात्मक क्रम में ऊतक हैं जो यदि पूर्णतः निकाले जाते हैं तो उन्हें शरीर द्वारा पुनरावृत्त नहीं किया जा सकता ;

(झ) "निकट नातेदार" से पति/पत्नी, पुत्र, जमाता, पुत्री, पिता, ससुर, माता, सास, भाई, जीजा/साला या बहन अभिप्रेत है ;

(ञ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ट) "संदाय" से धन के रूप में या धनीय मूल्य के रूप में संदाय अभिप्रेत है, किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित को चुकाने या उनकी प्रतिपूर्ति करने संबंधी कोई संदाय नहीं है,—

(i) प्रदाय किए जाने वाले मानव अंग के निकालने, परिवहन या परिरक्षण का खर्च ; या

(ii) किसी व्यक्ति द्वारा उपगत कोई व्यय या उपार्जनों की हानि, जहां तक कि उसका संबंध युक्तियुक्ततः और प्रत्यक्षतः उसके द्वारा अपने शरीर से किसी मानव अंग का प्रदाय करने से है; या

(iii) प्रतिरोपण के पूर्व या पश्चात् उपचार के संबंध में उपगत कोई व्यय ;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ड) "प्रतिग्रहीता" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसमें कोई मानव अंग प्रतिरोपित किया जाता है या किए जाने की प्रस्थापना है ;

1956 का 102 (ढ) "रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी" से ऐसा चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में यथापरिभाषित कोई मान्यताप्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता रखता है और जो उस धारा के खंड (ट) में यथापरिभाषित राज्य चिकित्सा रजिस्टर में नामांकित है ;

(ण) "चिकित्सीय प्रयोजन" से किसी विशिष्ट पद्धति या विधि के अनुसार किसी रोग का पद्धतिबद्ध उपचार या स्वास्थ्य सुधारने के उपाय अभिप्रेत है, और

(त) "प्रतिरोपण" से किसी जीवित व्यक्ति या मृत व्यक्ति से किसी अन्य जीवित व्यक्ति में किसी मानव अंग का चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए रोपण अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

मानव अंगों के निकाले जाने का प्राधिकार

मानव अंगों के निकाले जाने का प्राधिकार ।

3. (1) कोई भी दाता, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जाएं, अपनी मृत्यु के पूर्व, अपने शरीर के किसी मानव अंग का निकाले जाने का प्राधिकार दे सकेगा ।

(2) यदि किसी दाता ने, अपनी मृत्यु से पूर्व किसी भी समय लिखित रूप में और दो या अधिक साक्षियों की उपस्थिति में (जिनमें से कम से कम एक व्यक्ति उसका निकट नातेदार हो) अपनी मृत्यु के पश्चात् अपने शरीर के किसी मानव अंग का चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए निकाले जाने का प्राधिकार स्पष्ट रूप से दे दिया था, तो दाता के शव का विधिपूर्वक कब्जा रखने वाला व्यक्ति, जब तक कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि दाता ने पूर्वोक्त प्राधिकार तत्पश्चात् प्रतिसंहृत कर लिया था, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को दाता के शव से उस मानव अंग को चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए निकालने की सभी उचित सुविधाएं देगा ।

(3) जहां किसी व्यक्ति ने अपनी मृत्यु के पूर्व उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट कोई ऐसा प्राधिकार नहीं दिया था, किंतु उसने अपने किसी भी मानव अंग का अपनी मृत्यु के पश्चात् चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने की बाबत कोई आपत्ति भी प्रकट नहीं की थी, वहां ऐसे व्यक्ति के शव का विधिपूर्वक कब्जा रखने वाला व्यक्ति जब तक कि उसके पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि मृत व्यक्ति के किसी निकट नातेदार को मृत व्यक्ति के किसी भी मानव अंग का चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने की बाबत आपत्ति है, मृत व्यक्ति के किसी भी मानव अंग का चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए उसके निकाले जाने का प्राधिकार दे सकता है।

(4) यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन दिया गया प्राधिकार, मानव अंग के चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये निकाले जाने के लिये पर्याप्त आधार होगा, किन्तु ऐसा अंग रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं निकाला जाएगा।

(5) जहां कोई मानव अंग किसी मृत व्यक्ति के शरीर से निकाला जाना है, वहां रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे निकाले जाने के पूर्व उस शरीर की जिससे किसी मानव अंग को, निकाला जाना है, व्यक्तिगत परीक्षा करके अपना यह समाधान करेगा कि उस शरीर में से जीवन समाप्त हो गया है या जहां वह मस्तिष्क-स्तंभ मृत्यु का कोई मामला प्रतीत होता है वहां, यह समाधान भी करेगा कि ऐसी मृत्यु उपधारा (6) के अधीन प्रमाणित कर दी गई है।

(6) जहां मस्तिष्क-स्तंभ मृत्यु की दशा में किसी व्यक्ति के शरीर से किसी मानव अंग को निकाला जाना है वहां उसे तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि ऐसे मृत्यु ऐसे प्ररूप में, और ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों और अपेक्षाओं की, जो चिकित्सा विशेषज्ञों के ऐसे बोर्ड द्वारा विहित की जाएं, तुष्टि होने पर प्रमाणित न कर दी जायें। चिकित्सा विशेषज्ञ बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(i) उस अस्पताल का जिसमें मस्तिष्क-स्तंभ मृत्यु हुई है भारसाधक रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी;

(ii) एक स्वतंत्र रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जो विशेषज्ञ है और जिसे खंड (i) में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नामों के पेनल से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(iii) तंत्रिका विज्ञानी या तंत्रिका सर्जन जिसे खंड (i) में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नामों के पेनल से, नामनिर्दिष्ट किया जाएगा; और

(iv) ऐसा रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो उस व्यक्ति का उपचार करता है जिसकी मस्तिष्क-स्तंभ मृत्यु हुई है।

(7) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, जहां अठारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति की मस्तिष्क-स्तंभ मृत्यु हुई है और जिसे उपधारा (6) के अधीन प्रमाणित कर दिया गया है वहां मृत व्यक्ति के माता-पिता में से कोई भी ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, मृत व्यक्ति के शरीर से किसी मानव अंग के निकाले जाने का प्राधिकार दे सकेगा।

कुछ दशाओं में मानव अंगों के निकाले जाने का प्राधिकार न दिया जाना।

4. (1) यदि ऐसी सुविधा देने के लिए अपेक्षित व्यक्ति या ऐसा प्राधिकार देने के लिए सशक्त व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है, कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अनुसरण में ऐसे शव के संबंध में मृत्यु-समीक्षा की जानी अपेक्षित है तो मृत व्यक्ति के शरीर से किसी मानव अंग के निकाले जाने के लिए धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन कोई सुविधा नहीं दी जाएगी और उस धारा की उपधारा (3) के अधीन कोई प्राधिकार नहीं दिया जाएगा।

(2) किसी मृत व्यक्ति के शरीर से मानव अंग के निकाले जाने के लिये ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा प्राधिकार नहीं दिया जायेगा जिसे ऐसे शव को केवल दफनाने, दाह-संस्कार या अन्य प्रकार से अंत्येष्टि के प्रयोजन के लिये सौंपा गया है ।

अस्पताल या कारागार में लावारिस शवों की दशा में मानव अंगों के निकाले जाने का प्राधिकार ।

5. (1) किसी अस्पताल या कारागार में पड़े हुये किसी ऐसे शव की दशा में, जिसके बारे में मृत व्यक्ति के निकट नातेदारों में से किसी के द्वारा संबंधित व्यक्ति की मृत्यु के समय से अड़तालीस घंटे के भीतर दावा नहीं किया है, ऐसे लावारिस शव से किसी भी मानव अंग के निकाले जाने का प्राधिकार, ऐसे अस्पताल या कारागार के प्रबंध या नियंत्रण के उस समय भारसाधक व्यक्ति द्वारा या ऐसे अस्पताल या कारागार के किसी ऐसे कर्मचारी द्वारा, जिसे अस्पताल या कारागार के प्रबंध या नियंत्रण के भारसाधक व्यक्ति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, विहित प्ररूप में दिया जा सकता है ।

(2) यदि ऐसा प्राधिकार देने के लिये सशक्त व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि मृत व्यक्ति के किसी निकट नातेदार द्वारा शव का दावा किये जाने की संभावना है, यद्यपि ऐसे निकट नातेदार ने उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर मृत व्यक्ति के शव के बारे में दावा नहीं किया है, तो उपधारा (1) के अधीन कोई प्राधिकार नहीं दिया जायेगा ।

चिकित्सा-विधिक या विकृति विज्ञान के प्रयोजनों के लिये शव-परीक्षण के लिये भेजे गये शवों से मानव अंगों के निकाले जाने का प्राधिकार ।

6. जहां किसी व्यक्ति का शव,—

(क) चिकित्सा-विधिक प्रयोजनों के लिये, यदि उस व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना या किसी अन्य अप्राकृतिक कारण से हुई है, या

(ख) विकृति विज्ञान के प्रयोजन के लिये,

शव-परीक्षण के लिये भेजा गया है, वहां ऐसे शव से किसी मानव अंग निकाले जाने का प्राधिकार देने के लिये इस अधिनियम के अधीन सक्षम व्यक्ति, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे मानव अंग को उस प्रयोजन के लिये अपेक्षा नहीं होगी, जिसके लिये ऐसा शव शव-परीक्षण के लिये भेजा गया है, तो वह ऐसे मृत व्यक्ति के मानव अंगों का चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये निकाला जाना प्राधिकृत कर सकेगा, परन्तु यह तब जबकि उसका यह समाधान हो जाता है कि मृत व्यक्ति ने अपनी मृत्यु के पूर्व इस बात पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की थी कि उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके किसी मानव अंग का चिकित्सीय प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जाए या जहां उसने अपनी मृत्यु के पश्चात् चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए अपने मानव अंगों के उपयोग के लिये प्राधिकार दिया था, वहां ऐसे प्राधिकार को उसने अपनी मृत्यु से पूर्व प्रतिसंहृत नहीं किया था ।

मानव अंगों का परिरक्षण ।

7. किसी व्यक्ति के शव से किसी मानव अंग के निकाले जाने के पश्चात्, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी इस प्रकार निकाले गये मानव अंगों के परिरक्षण के लिये ऐसे कदम उठाएगा जो विहित किया जाये ।

व्यावृत्ति ।

8. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी मृत व्यक्ति के शव के या शव के किसी भाग के किसी व्यवहार को विधिविरुद्ध बनाती, यदि ऐसा व्यवहार उस दशा में विधिपूर्ण होता जिसमें यह अधिनियम पारित नहीं हुआ होता ।

(2) न तो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी मृत व्यक्ति के शव से किसी मानव अंग निकाले जाने के लिये कोई सुविधा या प्राधिकार दिया जाना और न ही ऐसे प्राधिकार के अनुसरण में किसी मृत व्यक्ति के शव से किसी मानव अंग का निकाला जाना, भारतीय दंड संहिता की धारा 297 के अधीन दंडनीय अपराध समझा जायेगा । 1860 का 45

मानव अंगों के निकाले जाने और प्रतिरोपण पर निर्बंधन ।

9. (1) उपधारा (3) में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, किसी दाता के शरीर से उसकी मृत्यु के पहले निकाला गया कोई भी मानव अंग प्राप्तिकर्ता में तब तक प्रतिरोपित नहीं किया जाएगा जब तक कि दाता प्राप्तिकर्ता का कोई निकट संबंधी न हो ।

(2) जहां कोई दाता, धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन अपनी मृत्यु के पश्चात् अपने मानव अंगों में से किसी के निकाले जाने के लिए प्राधिकृत करता है या कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी मृत व्यक्ति के शरीर से किसी मानव अंग के निकाले जाने के लिए प्राधिकार देने के लिए सक्षम या सशक्त है, ऐसे निकाले जाने को प्राधिकृत करता है, वहां मानव अंग निकाला जा सकेगा और किसी ऐसे प्राप्तिकर्ता के, जिसे ऐसे मानव अंग की आवश्यकता हो, शरीर में प्रतिरोपित किया जा सकेगा।

(3) यदि कोई दाता, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अपनी मृत्यु के पहले अपने मानव अंगों में से किसी को ऐसे प्राप्तिकर्ता के, जो निकट संबंधी नहीं है, जैसा कि दाता द्वारा प्राप्तिकर्ता के प्रति स्नेह या लगाव के कारण या किसी अन्य विशेष कारण से विनिर्दिष्ट किया गया है, शरीर में प्रतिरोपण के लिए, निकालने के लिए प्राधिकृत करता है, वहां ऐसा मानव अंग प्राधिकरण समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना निकाला और प्रतिरोपित नहीं किया जायेगा।

(4) (क) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस धारा के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक या अधिक प्राधिकरण समितियां गठित करेगी जो ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगी जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसे नामनिर्दिष्ट किया जाए;

(ख) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक प्राधिकरण समितियां गठित करेगी जो ऐसे सदस्यों से मिल कर बनेगी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, नामनिर्दिष्ट किया जाये।

(5) दाता और प्राप्तिकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से ऐसे प्ररुप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, किये गये आवेदन पर, प्राधिकरण समिति जांच करने के पश्चात् और स्वयं का समाधान हो जाने के पश्चात् कि आवेदकों ने इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया है, आवेदकों को मानव अंग को निकालने और प्रतिरोपण के लिए अनुमोदन दे सकेगी।

(6) यदि जांच के पश्चात् और आवेदकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्राधिकरण समिति का यह समाधान हो जाता है कि आवेदकों ने इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है, तो वह, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे अनुमोदनार्थ प्राप्त आवेदन नामंजूर कर देगा।

अध्याय 3

अस्पतालों का विनियमन

मानव अंगों के निकाले जाने, भंडारकरण या प्रतिरोपण को संपादित करने वाले अस्पतालों का विनियमन।

10. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ से ही,—

(क) कोई भी अस्पताल, जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हो, किसी मानव अंग के निकाले जाने, भंडारकरण या प्रतिरोपण को संपादित नहीं करेगा या उसमें सहबद्ध, या सहायक नहीं होगा;

(ख) कोई भी चिकित्सा व्यवसायी या कोई अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम, के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्थान से भिन्न किसी स्थान पर किसी मानव अंग के निकाले जाने, भंडारकरण या प्रतिरोपण से संबंधित किसी क्रियाकलाप का स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से संपादन नहीं करेगा या संपादन नहीं कराएगा या उसके संपादन में सहायता नहीं करेगा; और

(ग) कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर, जिसके अन्तर्गत धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत अस्पताल भी है, किसी मानव अंग के निकाले जाने, भंडारकरण या प्रतिरोपण के संबंध में, चिकित्सीय प्रयोजनों के सिवाय न तो उपयोग करेगा न उपयोग कराएगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी किसी दाता के शव से, किसी भी स्थान पर, चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए नेत्र या कर्ण निकाल सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "कर्ण" के अन्तर्गत कर्ण पटह और कर्ण अस्थि है।

मानव अंगों के चिकित्सीय प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए निकाले जाने या प्रतिरोपण पर प्रतिषेध।

11. कोई भी दाता और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी मानव अंग के निकाले जाने के लिए प्राधिकार देने के लिए सशक्त है, किसी मानव अंग का चिकित्सीय प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए निकाला जाना प्राधिकृत नहीं करेगा।

दाता और प्राप्तिकर्ता को प्रभावों, आदि के बारे में स्पष्ट करना।

12. कोई भी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी किसी मानव अंग को तब तक न तो निकालेगा न ही प्रतिरोपण करेगा जब तक कि उसने, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, निकालने और प्रतिरोपण से संबंधित सभी संभव प्रभावों, जटिलताओं और परिसंकटों के बारे में क्रमशः दाता और प्राप्तिकर्ता को स्पष्ट न कर दिया हो।

अध्याय 4

समुचित प्राधिकारी

समुचित प्राधिकारी।

13. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक या अधिक अधिकारियों को समुचित प्राधिकारियों के रूप में नियुक्त करेगी।

(2) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक अधिकारियों को समुचित प्राधिकारियों के रूप में नियुक्त करेगी।

(3) समुचित प्राधिकारी निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(i) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर करना या उस धारा की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करना;

(ii) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण निलंबित या रद्द करना;

(iii) किसी मानव अंग के निकाले जाने, भंडारकरण या प्रतिरोपण में लगे अस्पतालों के लिए ऐसे स्तरमान प्रवर्तित करना जो विहित किए जाएं

(iv) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों में से किसी के भंग होने से संबंधित किसी परिवाद का अन्वेषण करना और समुचित कार्रवाई करना;

(v) प्रतिरोपण की क्वालिटी की जांच करने के लिए और ऐसे व्यक्तियों की, जिन्होंने प्रतिरोपण कराया है, और ऐसे व्यक्तियों की, जिनसे अंग निकाले गए हैं; अनुवर्ती चिकित्सीय देखरेख के लिए कालिकत अस्पतालों का निरीक्षण करना; और

(vi) ऐसे अन्य, अध्युपाय करना जो विहित किए जाएं।

अध्याय 5

अस्पतालों का रजिस्ट्रीकरण

मानव अंगों के निकाले जाने, भंडारकरण या प्रतिरोपण में लगे अस्पतालों का रजिस्ट्रीकरण।

14. (1) कोई भी अस्पताल इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए किसी मानव अंग के निकाले जाने, भंडारकरण या प्रतिरोपण से संबंधित कोई क्रियाकलाप तब तक प्रारम्भ नहीं करेगा जब कि ऐसा अस्पताल इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत न हो:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए किसी मानव अंग के निकाले जाने, भंडारकरण या प्रतिरोपण से संबंधित किसी क्रियाकलाप में, या तो भागतः या अनन्य रूप से, लगा प्रत्येक अस्पताल ऐसे प्रारंभ की तारीख से साठ दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा :

परन्तु यह और कि किसी मानव अंग के निकाले जाने, भंडारकरण या प्रतिरोपण से संबंधित किसी क्रियाकलाप में लगा प्रत्येक अस्पताल का इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन मास की समाप्ति पर किसी ऐसे क्रियाकलाप में लगा रहना समाप्त हो जाएगा जब तक कि ऐसे अस्पताल ने रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन न किया हो और इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत न हो या तब तक जब तक कि ऐसे आवेदन का निपटारा न कर दिया गया हो, इनमें से जो भी पहले हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन समुचित प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से किया जाएगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जो विहित की जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन कोई भी अस्पताल तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं होगा जब तक कि समुचित प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसा अस्पताल ऐसी विशेषित सेवाओं और सुविधाओं को उपलब्ध कराने, ऐसे कुशल कर्मचारी और उपस्कर रखने तथा ऐसे स्तरमान बनाए रखने की स्थिति में है जो विहित किए जाएं।

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र।

5. (1) समुचित प्राधिकारी, जांच करने के पश्चात् और अपना यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आवेदक ने इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर लिया है, अस्पताल को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, देगा।

(2) यदि जांच करने के पश्चात् और आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् समुचित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक ने इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है तो वह रजिस्ट्रीकरण के आवेदन को ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे नामंजूर कर देगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण का प्रत्येक प्रमाणपत्र ऐसी रीति से और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, नवीकृत किया जाएगा।

रजिस्ट्रीकरण का निलंबन या रद्दकरण।

16. (1) समुचित प्राधिकारी, स्वप्रेरणा से या परिवाद पर, किसी अस्पताल को यह हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना जारी कर सकेगा कि इस अधिनियम के अधीन उसका रजिस्ट्रीकरण सूचना में वर्णित कारणों से, क्यों न निलंबित या रद्द कर दिया जाए।

(2) यदि अस्पताल को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् समुचित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किसी का भंग किया जाता रहा है, तो वह किसी दांडिक कार्यवाही पर, जो वह ऐसे अस्पताल के विरुद्ध कर सकता है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके रजिस्ट्रीकरण को उतनी अवधि के लिए जितनी वह ठीक समझे निलंबित कर सकेगा या उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा :

परन्तु जहां समुचित प्राधिकारी की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह किसी अस्पताल का रजिस्ट्रीकरण, कोई ऐसी सूचना जारी किए बिना, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, निलंबित कर सकेगा।

अपील।

17. धारा 9 की उपधारा (6) के अधीन अनुमोदन के लिए आवेदन को नामंजूर करने वाले प्राधिकरण के समिति के आदेश द्वारा व्यक्ति कोई व्यथित

या धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को नामंजूर करने वाले समुचित प्राधिकारी के आदेश द्वारा या धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के निलंबन या रद्दकरण के आदेश द्वारा व्यथित कोई अस्पताल, आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध ऐसी रीति से जो विहित की जाए, निम्नलिखित को अपील कर सकेगा—

(i) जहां अपील धारा 9 के उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन गठित प्राधिकरण समिति के आदेश के विरुद्ध है या धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध हैं, वहां केन्द्रीय सरकार को; या

(ii) जहां अपील धारा 9 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अधीन गठित प्राधिकरण समिति के आदेश के विरुद्ध है या धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त समुचित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध हैं, वहां राज्य सरकार को।

अध्याय 6

अपराध और शास्तियां

प्राधिकार के बिना मानव अंग के निकाले जाने के लिए दंड।

18. (1) ऐसा व्यक्ति जो किसी अस्पताल को अपनी सेवाएं अर्पित करता है या उसमें सेवा करता है और जो प्रतिरोपण के प्रयोजनों के लिये प्राधिकार के बिना किसी मानव अंग के निकाले जाने का किसी भी रीति से सम्पादन करता है, उसमें सहायक होता है, ऐसे कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) जहां उपधारा (I) के अधीन सिद्धदोष कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है, वहां उसका नाम समुचित प्राधिकारी द्वारा संबंधित राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए, जिसके अन्तर्गत उसके नाम का परिषद् के रजिस्टर से प्रथम अपराध के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए और पश्चात्वर्ती अपराध के लिए स्थायी रूप से, हटाया जाना है, भेजा जाएगा।

मानव अंगों में वाणिज्यिक व्यवहार के लिए दण्ड।

19. जो कोई,—

(क) किसी मानव अंग के प्रदाय के लिए या प्रदाय की प्रस्थापना के लिए कोई संदाय करता है या प्राप्त करता है;

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है, जो संदाय करने पर कोई मानव अंग प्रदाय करने के लिये रजामंद है;

(ग) संदाय करने पर कोई मानव अंग प्रदाय करने की प्रस्थापना करता है;

(घ) किसी मानव अंग के प्रदाय के लिए या प्रदाय करने की प्रस्थापना के लिए कोई इन्तजाम आरम्भ करता है या उसके लिये बातचीत करता है, जिसमें कोई संदाय अन्तर्वलित हो;

(ङ) किसी व्यक्ति निकाय के, चाहे वह सोसाइटी है, फर्म है या कम्पनी है, जिसके क्रियाकलाप खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी इन्तजाम के आरम्भ करने या बातचीत करने के रूप में है या उनके अन्तर्गत है, प्रबंध या नियंत्रण में भाग लेता है; या

(च) (क) संदाय करने पर कोई मानव अंग प्रदाय करने के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित करने वाला;

(ख) संदाय करने पर कोई मानव अंग प्रदाय करने की प्रस्थापना करने वाला;

(ग) वह उपदर्शित करने वाला कि विज्ञापनदाता खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी इंतजाम प्रारंभ करने या उसके संबंध में बातचीत करने के लिए रजामंद है,

कोई विज्ञापन प्रकाशित करता है या वितरित करता है या प्रकाशित या वितरित कराता है वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का, जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा ; दायी होगा :

परन्तु न्यायालय, किसी पर्याप्त और विशेष कारण से जो निर्णय में वर्णित किया जाएगा, दो वर्ष से कम की अवधि के कारावास और दस हजार रुपये से कम के जुर्माने का दंड अधिरोपित कर सकेगा।

इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के उल्लंघन के लिए दंड

20. जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबंध का अथवा मंजूर किए गए रजिस्ट्रीकरण की किसी शर्त का, जिसके लिए इस अधिनियम में पृथक रूप से कोई दंड उपबंधित नहीं है, उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध।

21. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) के किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है ; और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

अपराध का संज्ञान।

22. (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान,—

(क) संबंधित समुचित प्राधिकारी के द्वारा या, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के द्वारा ; या

(ख) उस व्यक्ति के द्वारा, जिसने संबंधित समुचित प्राधिकारी को, ऐसी रीति जो विहित की जाए, कथित अपराध को, और न्यायालय को परिवाद् करने के अपने आशय को, कम से कम साठ दिन की सूचना दी है ;

परिवाद पर करने के सिवाय नहीं करेगा।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से भिन्न कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(3) जहां उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई परिवाद किया गया है वहां न्यायालय, ऐसे व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने पर, समुचित प्राधिकारी को उसके कब्जे में के सुसगत अभिलेखों की प्रतियां ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध कराने का निदेश दे सकेगा।

अध्याय

प्रकीर्ण

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण।

23. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति।

24. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं, विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति जिससे और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए कोई दाता, अपनी मृत्यु से पूर्व, अपने शरीर के किसी मानव अंग का निकाला जाना प्राधिकृत कर सकेगा;

(ख) धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन वह प्ररूप जिसमें और वह रीति जिससे, मतिष्क स्तंभ मृत्यु प्रमाणित की जाएगी और वे शर्तें तथा अपेक्षाएं जिनका उस प्रयोजन के लिए समाधान करना होगा ;

(ग) धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन वह प्ररूप जिसमें और वह रीति जिससे, किसी अवयस्क की मस्तिष्क स्तंभ मृत्यु की दशा में, माता-पिता में से कोई किसी मानव अंग निकाले जाने का प्राधिकार दे सकेगा

(घ) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप जिसमें किसी अदावकृत मृत शरीर से किसी मानव अंग को निकाले जाने का प्राधिकार अस्पताल या कारागार के प्रबंध या नियंत्रण के भारसाधक व्यक्ति द्वारा दिया जा सकेगा ;

(ङ) धारा 7 के अधीन वह कार्रवाई जो किसी व्यक्ति के शरीर से निकाले गए मानव अंग के परीक्षण के लिए की जाएगी ;

(च) धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन वह प्ररूप जिसमें और वह रीति जिससे, कोई आवेदन दाता और प्राप्तिकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से किया जा सकेगा ;

(छ) धारा 12 के अधीन वह रीति जिससे निकाले जाने और प्रति-रोपण करने से संबंधित सभी संभाव्य प्रभाव, जटिलतायें और परिसंकट रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा दाता और प्राप्तिकर्ता को स्पष्ट किए जाएंगे;

(ज) धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (iii) के अधीन वे मानक जो समुचित प्राधिकारी द्वारा किसी मानव अंग के निकाले जाने भंडारण या प्रतिरोपण में लगे हुए अस्पतालों की बाबत प्रवर्तित कराए जाएंगे;

(झ) ऐसे अन्य अभ्युपाय जो समुचित प्राधिकारी धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (vi) के अधीन अपने कृत्यों के अनुपालन में करेगा ;

(ञ) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन वह प्ररूप जिसमें और वह रीति जिससे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाएगा और वह फीस जो उसके साथ होगी ;

(ञा) धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन, किसी अस्पताल द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली, विशेषित सेवाएं और सुविधायें रखे जाने वाले कुशल कर्मचारी और उपस्कर तथा बनाए रखे जाने वाले मानक ;

(ट) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप जिसमें और वह अवधि जिसके लिए और वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए किसी अस्पताल को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया जाएगा ।

(ड) धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन वह रीति जिससे और वह फीस जिसका संदाय करने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण किया जाएगा ;

(ढ) धारा 17 के अधीन वह रीति जिससे अपील की जा सकेगी ;

(ण) धारा 22 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन वह रीति जिससे किसी व्यक्ति द्वारा किसी समुचित प्राधिकारी को कथित अपराध की और न्यायालय को परिवाद करने के अपने आशय की सूचना देने की अपेक्षा की जाएगी ; और

(त) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाता है या विहित किया जाए ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जायगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

निरसन और व्यावृत्ति।

25. (1) कर्ण पटह और कर्ण अस्थि (चिकित्सा प्रयोजनों के लिए उपयोग
1982 का 28 का प्राधिकार) अधिनियम, 1982 और नेत्र (चिकित्सा प्रयोजनों के लिए उपयोग
1982 का 29 का प्राधिकार) अधिनियम, 1982 निरसित किए जाते हैं।

(2) तथापि, ऐसे निरसन का इस प्रकार निरसित अधिनियमों के पूर्व प्रवर्तन पर या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई किसी बात पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

परिशिष्ट एक

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 2)

विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव

"कि चिकित्सीय उद्देश्यों हेतु मानव अंगों के निकाले जाने, भंडारकरण या प्रतिरोपण और मानव अंगों के वाणिज्यिक लेन-देन पर रोक और इससे जुड़े हुए तथा प्रासंगिक मामलों के विनियमन का प्रावधान करने वाले राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक को निम्नलिखित 21 सदस्यों वाली प्रवर समिति को, 18 दिसम्बर, 1993 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के अनुदेशों के साथ भेजा जाए:—

1. डा॰ कृपासिन्धु भोई
2. प्रो॰ सुशान्त चक्रवर्ती
3. श्री शरद दिघे
4. श्रीमती सरोज दुबे
5. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा
6. श्री खेलन राव जांगडे
7. डा॰ के॰ डी॰ जेस्वाणी
8. श्री दाउ दयाल जोशी
9. डा॰ जे॰ एल॰ कनोजिया
10. डा॰ रवि मल्लू
11. श्री पीटर जी॰ मरबनिआंग
12. डा॰ श्रीमती पद्मा
13. डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय
14. डा॰ बसंत पवार
15. डा॰ आर॰ के॰ जी॰ राजुलु
16. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन
17. श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव
18. श्री रोशन लाल
19. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री
20. श्री विश्वनाथ शास्त्री
21. डा॰ सी॰ सिलवेरा

परिशिष्ट दो

मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक, 1993 संबंधी प्रवर समिति की बैठकों का कार्यवाही-सारांश

एक
पहली बैठक
14.12.1993

समिति की बैठक मंगलार, 14 दिसम्बर, 1993 को 15.00 बजे से 17.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री पीटर जी॰ मरबनिआंग —**सभापति**

सदस्य

2. डा॰ कृपासिंधु भोई
3. प्रो॰ सुशांत चक्रवर्ती
4. श्री शरद दिघे
5. डा॰ के॰ डी॰ जेस्वाणी
6. श्री दाउ दयाल जोशी
7. डा॰ जे॰ एल॰ कनोजिया
8. डा॰ रवि मल्लू
9. डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय
10. डा॰ वसंत पवार
11. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन
12. श्री विश्वनाथ शास्त्री
13. डा॰ सी॰ सिलवेरा

सचिवालय

श्री जी॰ एल॰ बत्रा	— **अपर सचिव**
श्री आर॰ के॰ चटर्जी	— **उप सचिव**
श्री राम कुमार	— **अवर सचिव**

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री आर॰ एल॰ मिश्रा, सचिव (स्वास्थ्य)
2. श्री बी॰ एस॰ लाम्बा, संयुक्त सचिव
3. डा॰ एस॰ नंदी, प्रोफेसर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान सस्थान

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

श्री पी॰ सी॰ राय, उप विधायी सलाहकार

2. आरंभ में, सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और प्रस्तावित विधेयक के महत्व तथा अवलिम्बनीयता का उल्लेख करते हुए समिति को सौंपे गए कार्य के बारे में बताया। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि सभा में स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार समिति से एक सीमित अवधि अर्थात् 18 दिसम्बर, 1993 तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

3. समिति ने विधेयक के प्रावधानों के बारे में सामान्य चर्चा की।

4. तत्पश्चात् समिति की बैठक बुधवार, 15 दिसम्बर, 1993 को 15.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

दो
दूसरी बैठक
15.12.1993

समिति की बैठक बुधवार, 15 दिसम्बर, 1993 को 15.00 बजे से 16.50 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री पीटर जी॰ मरबनिआंग —सभापति

सदस्य

2. डा॰ कृपासिंधु भोई
3. प्रो॰ सुशांत चक्रवर्ती
4. श्री शरद दिघे
5. डा॰ के॰ डी॰ जेस्वाणी
6. श्री दाऊ दयाल जोशी
7. डा॰ रवि मल्लू
8. डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय
9. डा॰ वसंत पवार
10. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन
11. श्री विश्वनाथ शास्त्री
12. डा॰ सी॰ सिलवेरा

सचिवालय

श्री एस॰ सी॰ गुप्ता — संयुक्त सचिव
श्री आर॰ के॰ चटर्जी — उप सचिव
श्री राम कुमार — अवर सचिव

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री आर॰ एल॰ मिश्रा, सचिव (स्वास्थ्य)
2. डा॰ एस॰ नंदी, प्रोफेसर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

श्री पी॰ सी॰ राय, उपविधायी सलाहकार

2. समिति ने अपने भविष्य के कार्यक्रम पर विचार किया। समिति ने सदन के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 18 दिसम्बर, 1993 से आगे समय-सीमा बढ़ाने की मांग करने के प्रश्न पर विचार किया। इस विषय पर विचार करते हुए समिति ने महसूस किया कि क्योंकि उन्हें अभी विधेयक पर खंडवार विचार करना है और विधेयक के अन्य चरण भी पूरे करने हैं इसलिए समिति निर्धारित तिथि 18 दिसम्बर, 1993 तक सदन में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर पायेगी।

3. इसलिये, समिति ने, 22 दिसम्बर, 1993 तक सदन में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा बढ़ाये जाने की मांग करने पर निर्णय लिया।

4. इसके पश्चात्, सभापति ने विधेयक की जांच के विभिन्न चरणों के बारे में विभिन कार्यों को पूरा करने के लिए अंतिम कार्यक्रम घोषित किया जो इस प्रकार है:—

(एक) सदस्यों से प्राप्त संशोधनों की सूचना — 16.12.1993 को मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे तक

(दो) विधेयक पर खंडशः विचार — 16.12.93 और 17.12.93

(तीन) विधेयक पर विचार करना — 20.12.93

(चार) विमत टिप्पण, यदि कोई हों — 21.12.93 की 12 म॰प॰ तक

(पांच) सदन में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने — 22.12.93

तत्पश्चात्, समिति की बैठक बृहस्पतिवार, 16 दिसम्बर, 1993 को 15.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

तीन

तीसरी बैठक

16.12.93

समिति की बैठक बृहस्पतिवार, 16 दिसंबर, 1993 को 15.00 बजे से 17.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री पीटर० जी० मरबनिआंग—सभापति

सदस्य

2. डा० कृपासिंधु भोई
3. प्रो० सुशांत चक्रवर्ती
4. श्रीमती सरोज दुबे
5. श्री दाऊ दयाल जोशी
6. डा० जी० एल० कनौजिया
7. डा० लक्ष्मीनारायण पांडे
8. डा० वसंत पवार
9. डा० सी० सिल्वेरा

सचिवालय

श्री एस० सी० गुप्ता—संयुक्त सचिव
श्री आर० के० चटर्जी—उप सचिव
श्री राम कुमार—अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) के प्रतिनिधि

श्री आर० एल० मिश्रा, सचिव (स्वास्थ्य)
डा० एस० नंदी, प्रोफेसर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

श्री पी० सी० राय, विधायी सलाहकार

2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने उपमंत्री, श्री पवन सिंह घाटोवार ने जो समिति के सदस्य नहीं थे, लोक सभा के प्रक्रिया और संचालन नियमों के नियम 299 के अन्तर्गत सभापति की अनुमति से बैठक में भाग लिया।

3. तत्पश्चात् समिति ने अधिनियम को लागू करने के संबंध में खंड—1(3) पर विचार आरंभ किया और पाया कि विधेयक में गोवा, हिमाचल प्रदेश, और महाराष्ट्र तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों में अधिनियम को लागू करने के लिए अधिसूचना द्वारा एक प्रति निर्धारित करने की केन्द्रीय सरकार को शक्ति प्रदान की है। कुछ सदस्यों ने यह विचार व्यक्त किया कि केवल तीन राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों में इस अधिनियम को लागू करने से वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा जिसके लिए यह अधिनियम बनाया गया था। जिन राज्यों में इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे उनमें मानव अंगों को वाणिज्यिक लेनदेन का अनैतिक कार्य चलता रहेगा। समिति चाहती है कि सरकार इस बात पर ध्यान देने के लिए निष्ठापूर्वक विचार करें कि अन्य राज्य विशेषकर बड़े राज्य एक निर्धारित समय-अवधि में इस अधिनियम को स्वीकार करने के लिए संकल्प कार्य करें।

4. तत्पश्चात् समिति ने "निकट संबंधी" शब्दावली से संबंधित खंड-दो (एक) और तत्संबंधी संशोधनों पर विचार किया। विचार-विमर्श पूरा नहीं हुआ।

5. इसके पश्चात् समिति ने अस्पतालों अथवा जेलों में लावारिस शवों से मानव अंग निकालने के अधिकार संबंधी खंड-पांच(एक) पर विचार किया खंड को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया गया।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक 17 दिसंबर, 1993 को पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

चार

चौथी बैठक

17.12.93

समिति की बैठक शुक्रवार, 17 दिसंबर, 1993 को 3 बजे म॰ प॰ से 5 बजे म॰ प॰ तक हुई।

उपस्थित

श्री पीटर॰जी॰ मरबनिआंग—सभापति

सदस्य

2. श्रीमती सरोज दुबे
3. श्री दाऊ दयाल जोशी
4. डा॰ जी॰ एल॰ कनौजिया
5. डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय
6. श्री रोशन लाल
7. डा॰ सी॰ सिल्वेरा

सचिवालय

श्री एस॰ सी॰ गुप्ता—संयुक्त सचिव

श्री आर॰ के॰ चटर्जी—उप सचिव

श्री राम कुमार—अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) मंत्रालय के प्रतिनिधि

श्री आर॰ एल॰ मिश्रा, सचिव (स्वास्थ्य)

श्री बी॰ एस॰ लाम्बा, संयुक्त सचिव

डा॰ एस॰ नंदी, प्रो॰, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

श्री पी॰ सी॰ राय, विधायी काउंसल

2. समिति ने विधेयक पर आगे खंड-वार विचार आरंभ किया।

3. खंड 2: निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये:

(I) पृष्ठ 3, पंक्ति 4-5 के स्थान पर

(I) "निकट नातेदार" से पति/पत्नी, पुत्र, जमाता, पुत्री, पिता, ससुर, माता, सास, भाई, जीजा/साला या बहन अभिप्रेत है:

प्रतिस्थापित किया जाए।

(II) पृष्ठ 3,

पंक्ति 14 के पश्चात

(III) प्रतिरोपण के पूर्व या पश्चात उपचार के संबंध में उपगत कोई व्यय।"

अन्तः स्थापित किया जाए

खंड, यथा संशोधित स्वीकृत हुआ।

4. समिति ने पाया कि खंड (14) के उप-खंड (1) में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक अस्पताल जो कि मानव अंगों के निकालने और भण्डारकरण करने या प्रतिरोपण से संबंधित किसी भी कार्यकलाप में संलग्न हो, उसे उस अधिनियम के लागू करने के दिनांक से तीन मास की अवधि की समाप्ती पर इस प्रकार के किसी भी कार्यकलाप में संलग्न रहना बंद कर देना चाहिए जब तक कि इस प्रकार के अस्पताल ने पंजीकरण के लिए आवेदन न कर दिया हो और उसका पंजीकरण किया गया हो अथवा ऐसे आवेदन का जब तक निपटारा न कर दिया गया हो—इसमें जो भी पहले होगा वही उस मामले में लागू होगा।

5. समिति ने नोट किया कि विधेयक में उचित प्राधिकारी द्वारा आवेदन के निपटान के लिए किसी समय सीमा का प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि इस प्रकार की समय सीमा का प्रावधान अधिनियम के अन्तर्गत बनाये जाने वाले नियमों के तहत किया जा सकता है। समिति ने सिफारिश की उचित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने के बाद सभी तरह से पूर्ण आवेदन को निपटाने के लिए नियमों में उचित अधिकतम समय-सीमा का प्रावधान किया जाना चाहिए।

6. जो संशोधन सदस्यों से प्राप्त हुए थे और जिन पर विचार किया गया था, लेकिन जिन्हें समिति ने स्वीकार नहीं किया था या जिन्हें सदस्यों ने वापस ले लिया था अनुबंध में दिये गये हैं।

तत्पश्चात समिति सोमवार 20 दिसम्बर, 1993 को तीन बजे म॰ प॰ पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध

लोक सभा सचिवालय
(समिति शाखा—दो)

राज्य सभा द्वारा यथा पारित मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक, 1993 से संबंधित प्रवर समिति

समिति के सदस्यों से प्राप्त संशोधनों की सूची जिनपर समिति ने 17 दिसम्बर, 1993 को हुई अपनी बैठक में विचार किया और अस्वीकार किया

(कार्यवृत का पैरा 6 देखिए)

क्रमांक	**सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ**	**खण्ड संख्या**
1.	**श्री शरद दिघे:**	
1.	पृष्ठ 2 पंक्ति 11-17 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:— "(3) यह एक वर्ष के पश्चात् या उस तारीख को, जो भी पहले हो, प्रवृत्त होगा, जिसको सभी अन्य राज्य संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अधीन इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा इस अधिनियम को अंगीकार करते हैं;	1
2.	पृष्ठ 3, पंक्ति 4 और 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:— (1) "निकट नातेदार" से अभिप्रेत है (i) उसके नैसर्गिक माता-पिता और उसके बच्चे (ii) पूर्ण या अर्धरक्त के उसके भाई और बहिनें (अर्थात् उसके नैसर्गिक माता से या पिता से कोई बच्चा) (iii) उसके नैसर्गिक माता-पिता दोनों में से किसी एक का पूर्ण रक्त या अर्धरक्त के भाई और बहनें (अर्थात् उसकी चाची, ताई, मामी, काकी, बुआ, मौसी और मामा, चाचा, ताऊ मौसा, फूफा) (iv) पूर्ण या अर्धरक्त के उसके भाई और बहनों के नैसर्गिक बच्चे (अर्थात् भतीजे, भान्जे और भतीजियां, भांजियां) या उसके पूर्ण या अर्धरक्त के भाईयों या बहनों या उसके नैसर्गिक माता-पिता दोनों में से किसी एक के भाई और बहनें (अर्थात् चचेरा, फुफेरा, ममेरा, मौसेरा भाई) **स्पष्टीकरण:** उपर्युक्त प्रयुक्त पुलिंग सर्वनाम में किसी भी लिंग का सदस्य अन्तर्निहित है।"	2
	डा॰ खुशी राम डुंगरोमल जेस्वाणी:	
3.	पृष्ठ 3, पंक्ति 5-6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये:— "निकट नातेदार" से पति/पत्नी तथा आनुवंशिक रूप से संबंधित निम्नलिखित व्यक्ति से अभिप्रेत है: "(क) उसके नैसर्गिक माता पिता और उसके बच्चे; (ख) पूर्ण या अर्धरक्त के उसके भाई तथा बहनें (अर्थात् उसके नैसर्गिक माता-पिता दोनों में से किसी एक का कोई बच्चा); (ग) उसके किसी भी नैसर्गिक माता पिता (अर्थात् उसके चाची, ताई, फूफी, मामी और मौसी तथा चाचा, मामा, फूफा, मौसा) के पूर्ण या अर्ध-रक्त के भाई तथा बहनें; (घ) पूर्ण या अर्ध-रक्त के उसके भाई और बहनों के नैसर्गिक बच्चे (अर्थात् भतीजे तथा भतीजियां या उसके नैसर्गिक माता-पिता दोनों में से किसी एक के पूर्ण या अर्ध-रक्त के भाई तथा बहनें) अर्थात् चचेरा, ममेरा, फुफेरा भाई);"	2

क्रमांक	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खण्ड संख्या
4.	**डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:** **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी:** पृष्ठ 3, पंक्ति 5-6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये: (एक) "निकट नातेदार" से पति, पत्नी, बेटा, दामाद, बेटी, बहू पिता, ससुर माता, सास, भाई, जीजा, साला, बहन या साली, भाभी, अभिप्रेत है।"	2
	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी:**	
5.	पृष्ठ 2, पंक्ति 26 में "स्वेच्छया" के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये— "अथवा कुछ विशिष्ट कारणों के कारण"	2
	डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी:	
6.	पृष्ठ 3, पंक्ति 33 — "मानव अंग" के पश्चात् कर्ण पटह कान के परदे और पुतली को छोड़कर" अन्तःस्थापित किया जाये।	3
	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: **डा० खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी:**	
7.	पृष्ठ 5, पंक्ति 6 — "अड़तालीस घंटे" के स्थान पर "चौबीस घंटे" प्रतिस्थापित किया जाये।	5
	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:	
8.	पृष्ठ 2, पंक्ति 5 और 6 — "मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक, 1993" के स्थान पर "मानव अंग और तंत्रिका प्रतिरोपण विधेयक, 1933" प्रतिस्थापित किया जाये।	संक्षिप्त नाम

मानव अंग प्रतिरोपण विधेयक, 1993
राज्य सभा द्वारा यथापारित
नियम 301 के अधीन संशोधनों की सूचनायें

क्रमांक	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खंड संख्या
	श्री गिरधारी लाल भार्गव:	
1.	पृष्ठ 2, पंक्ति 38, "और" के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए। "मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत।"	2
2.	पृष्ठ 3, पंक्ति 32 और 33 "ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जाएं, का लोप किया जाये।"	3
3.	पृष्ठ 9, पंक्ति 4, "तीस दिन" के स्थान पर "साठ दिन" प्रतिस्थापित किया जाये।	17
4.	पृष्ठ 9, पंक्ति 20, "पांच वर्ष" के स्थान पर "सात वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये।	18

क्रमांक	सदस्य का नाम और संशोधन का पाठ	खंड संख्या
5.	पृष्ठ 9, पंक्ति 25, "दो वर्ष" के स्थान पर "तीन वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये।	18
	सामान्य सुझाव	
	डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:	
10.	पृष्ठ 5, "अधिनियम की धारा 5 और 6 में इस आशय का उपबंध किया जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति की मृत्यु का प्रमाणीकरण किसी न्यूरोलाजिस्ट, न्यूरोसर्जन तथा सघन चिकित्सा केन्द्र विशेषज्ञ (आई॰सी॰यू॰एक्सपर्ट) द्वारा किया जाये। इसी प्रकार किसी अंग को निकालने के लिए रजिस्टर्ड मेडीकल प्रैक्टीशनर होना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस विशिष्ट कार्य को करने हेतु विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है।"	5 और 6

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, संसद सदस्य से प्राप्त मानव अंग प्रतिरोपण संबंधी प्रस्तावित विधेयक जैसाकि कि 20 अगस्त, 1992 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया, का विश्लेषण।

.....

उद्देशिका और अध्याय-1

1. इस विधेयक का नाम "मानव अंग प्रतिरोपण-1993" के स्थान पर "मानव अंग तथा तंत्रिका प्रतिरोपण-1993" रखा जाए। स्पष्टीकरण-इसलेट सेल प्रतिरोपण अथवा आंशिक अग्नाशयी प्रतिरोपण/यकृत खण्ड प्रतिरोपण, तंत्रिता प्रतिरोपण की श्रेणी में आते हैं जबकि पूर्ण अग्नाशय और पूर्ण यकृत प्रतिरोपण वास्तव में अंग प्रतिरोपण है।

2. निकट संबंधियों की सूची में पति/पत्नी को पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई या बहन की सूची में शामिल किया गया है।

निकट संबंधियों का वास्तविक अर्थ केवल अनुवांशिक रूप से संबंधित व्यक्ति है, अन्य को भावनात्मक रूप से संबंधित माना जाए और पति/पत्नी दूसरी श्रेणी में आते हैं।

3. सप्लाई किए जाने वाले मानव अंगों को निकालने, उनके परिवहन या परिरक्षित रखने की लागत या किसी व्यक्ति द्वारा अपने शरीर से कोई अंग सप्लाई करने से उपगत कोई व्यय या हानि अथवा आय का संबंध है, की प्रतिपूर्ति को संदाय और व्यापार का हिस्सा नहीं माना जाएगा। यह अस्पष्ट है कि विशेषकर अस्पताल के कई दौरों और प्रवेश और आप्रेशन के पश्चात् स्वास्थ्य लाभ की अवधि के दौरान दाता की आय की हानि उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार कुछ हजार से कुछ लाख तक हो सकती है। इस खण्ड में धन के लेन-देन की पर्याप्त गुजाइंश है।

अध्याय-2

4. अध्याय 2 धारा 3 में स्वीकृति "देने" और "न देने" का उपबंध है जो इस विधेयक का सशक्त पहलू है।

5. मस्तिष्क स्तम्भ मृत्यु को अंतिम मृत्यु के रूप में शामिल किया जाना अद्यतन परिकल्पना है और इससे निश्चित रूप से दान किए गए अच्छे किस्म के अंगों की पूर्ति बढ़ेगी।

6. विधेयक में सभी चिकित्सा कार्मिकों के लिए अपेक्षित अर्हतायें तथा अनुभव विनिर्दिष्ट किये जाने चाहिएं। मृत्यु का प्रमाणीकरण न्यूरोलाजिस्ट, न्यूरो सर्जन तथा सघन चिकित्सा यूनिट के विशेषज्ञों द्वारा केवल प्रशिक्षित सर्जनों को ही दी जानी चाहिए। विधेयक में उल्लिखित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी शब्द पर्याप्त नहीं है। खण्ड 5 (1) जो अस्पताल के परिसर में मृत्यु के पश्चात लावारिस शवों को अड़तालीस घंटे तक पड़े रहने के बारे में है, तब तक व्यर्थ है जब तक मृत्यु केवल मस्तिष्क-मृत हो और रैस्पीरेटर पर रखा गया हो। अड़तालिस घंटों के पश्चात् हृदय गति रूकने वाले शवों के अधिकतर अंग चिकित्सीय प्रतिरोपण के प्रयोजनों के लिए बेकार हो जायेंगे।

7. प्रमाणीकरण समिति का विचार अच्छा है परन्तु यह सभी जीवित संबंधी प्रतिरोपण के मामलों में समानरूप से लागू होना चाहिए ताकि डाक्टरों को दाता और प्राप्तिकर्ता के संबंध का निर्धारण करने के दायित्व से मुक्त किया जा सके।

अन्यथा क्योंकि अस्पतालों को रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा और इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किया जायेगा इसलिए यह उत्तरदायित्व अस्पताल के प्रशासन को सौंपा जाना चाहिए जो सरकार द्वारा नियुक्त उचित प्राधिकरण होगा।

अध्याय-3

8. अध्याय 3 की धारा (2) में शव से अंगों को निकालने का प्राधिकार चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा के लिए तथा चिकित्सीय उपयोग के लिए दिया जाना चाहिए।

9. अध्याय 3 की धारा 12 में इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी अस्पतालों के लिए औपचारिक सहमति लेने के लिए समान प्रोटोकाल विहित किया जाना चाहिए।

10. इसमें सरकार की भूमिका आवश्यकता से अधिक दिखायी देती है कि सभी शक्तियों तथा प्राधिकार जो इस अध्याय में समाविष्ट किये गये हैं, भारतीय चिकित्सा परिषद तथा अन्य व्यवसायिक निकायों को क्यों नहीं दे दिये जाते।

वास्तव में इस पूरे अध्याय की आवश्यकता नहीं है और अन्य सभी स्थितियों में लागू वर्तमान नियम यहां भी लागू होने चाहिए। प्रतिरोपण के लिए अलग खंड क्यों किये गये हैं जबकि डायलिसिस उपचार, कैंसर के रोगियों के उपचार और हृदय रोग संबंधी शल्य चिकित्सा के मामले में भी यहां नियम क्यों नहीं लागू होते। इन विशिष्टताओं में भी कदाचार किये जाने की संभावनायें

है। उदाहरण के लिये 2 घंटे के लिए डायलिसिस पर रखना जबकि 4 घंटे के लिए डायलिसिस पर रखा जाना चाहिए और फिर भी प्रभार में कोई अंतर नहीं है। ऐसे मामलों में भी कोरोनरी बाई-पास सर्जरी किया जाना जिनमें इससे बचा जा सकता है। इस प्रकार की सैद्धांतिक संभावनायें बहुत हो सकती हैं।

अध्याय-चार

अपराध और शास्तियां

11. चिकित्सक को यह सूचित करने का दायित्व कि अस्पताल को ऐसी प्रक्रियाओं का संचालन करने का प्राधिकार है अथवा नहीं, अस्पताल पर होना चाहिए। ऐसे अस्पताल में कार्य कर रहे चिकित्सकों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए क्योंकि शव से दाता अंग को निकालना एक आपातकालीन प्रक्रिया हो सकती है और चिकित्सक एक सूक्ष्म तथा द्रुत कार्य करने के लिए भारी दबाव में हो सकता है और उससे अस्पताल की पात्रता का पता लगाने की आशा नहीं की जा सकती है।

12. चिकित्सकों को इस उपबंध के क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए और उससे अंग-दाता तथा प्राप्तकर्ता के संबंध की-जांच और पता लगाने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। अपने संबंधों के बारे में घोषणा करने का उत्तरदायित्व प्राप्तकर्ता और उसका या उसके परिवार तथा अंग-दाता का होना चाहिए और किसी उल्लंघन के लिए केवल वे ही जवाब देह होने चाहिए। सभी जीवित प्रतिरोपणों के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य किसी प्राधिकारी द्वारा सत्यापित अथवा हस्ताक्षरित एक उपयुक्त घोषण पत्र अनिवार्य बनाया जा सकता है।

समुचित संशोधनों के साथ एक बार अधिनियमित किया गया विधान अंग-दाताओं, प्राप्तकर्ताओं, अस्पतालों और चिकित्सकों की सहायता तथा उनके हितों की रक्षा समान रूप से कर सकता है।

1. असंबंधित दाता एक वास्तविकता है और इसे दूर नहीं किया जा सकता। सरकार को यह देखना चाहिए कि इसमें कोई व्यापार न हो, कोई बिचौलिया न हो और दाता के स्वास्थ्य की गारंटी दी जाए।

2. सरकार को कुल मिलाकर जनता को शिक्षित करने के लिए अपने तंत्र को दुरूस्त बनाना चाहिए ताकि लोग मृत्यु के पश्चात् अपने अंगों का दान करने के लिए स्वेच्छा से आगे जाएं।

भारत के उप-राष्ट्रपति, डा० शंकर दयाल शर्मा द्वारा 5 जनवरी, 1992 को "दाता कार्ड" प्रारम्भ किया गया और भारत की प्रतिरोपण सोसाइटी द्वारा जारी किया गया था। सरकार को यह कार्ड कानूनी बना देना चाहिए।

पांच

पांचवीं बैठक

20.12.1993

समिति की बैठक सोमवार, 20 दिसम्बर, 1993 को 15.00 बजे से 16.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री पीटर जी॰ मरबिनिआंग — सभापति

सदस्य

2. डा॰ कृपा सिन्धु भोई
3. प्रो॰ सुशान्त चक्रवर्ती
4. श्री शरद दिघे
5. श्रीमती सरोज दुबे
6. श्री भूपिन्द्र सिंह हूड्डा
7. डा॰ के॰ डी॰ जेस्वाणी
8. डा॰ जी॰ एल॰ कनोजिया
9. डा॰ रवि मल्लू
10. डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
11. डा॰ वसन्त पवार
12. डा॰ आर॰ श्रीधर

सचिवालय

श्री एस॰ सी॰ गुप्ता — संयुक्त सचिव

श्री आर॰ के॰ चटर्जी — उप सचिव

श्री राम कुमार — अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) के प्रतिनिधि

श्री आर॰ एल॰ मिश्रा — सचिव (स्वास्थ्य)

श्री बी॰ एस॰ लाम्बा — संयुक्त सचिव

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग)

श्री पी॰ सी॰ राय — उप विधायी सलाहकार

2. समिति ने विधेयक पर विचार किया और उसे यथा संशोधित रूप में स्वीकृत किया।

3. तत्पश्चात्, समिति ने प्रारूप प्रतिवेदन को निम्नलिखित संशोधनों के साथ विचार किया और उसे स्वीकृत किया:—

"(एक) प्रतिवेदन में निम्नलिखित नया पैरा 12 जोड़ें।

खण्ड 13 — समुचित प्राधिकारी

"इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए खण्ड 13 के अंतर्गत केन्द्र/राज्य सरकारों की अधिसूचना द्वारा एक अथवा अधिक अधिकारियों को समुचित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करने की शक्ति प्रदत्त की गई है। समिति की यह राय है कि समुचित प्राधिकारियों की संख्या दो से कम नहीं होनी चाहिए। अधिनियम के अंतर्गत नियमों को बनाते समय इस बात को ध्यान में रखा जाये।"

(दो) प्रतिवेदन के पैरा 13 (पैरा 12 अंतर्विष्ट करने के पश्चात्) खंड 14
"एक उपयुक्त अधिकतम समय सीमा" के स्थान पर
"समय सीमा जो 90 दिन से अधिक न हो।" प्रतिस्थापित किया जाये।

(तीन) पैरा सं० 12, 13 और 14 के स्थान पर पैरा सं० 13, 14 और 15 प्रतिस्थापित किया जाये।

4. समिति ने प्रारूपण प्रकृति के कतिपय लघु संशोधनों के लिए विधायी परामर्शदाता को प्राधिकृत किया।

5. सभापति ने सदस्यों का ध्यान लोक सभा के मा० अध्यक्ष के निदेशों के निदेश सं० 87 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विमत टिप्पण देने के बारे में आकृष्ट किया और उन्होंने यह घोषणा की कि विमत टिप्पण, यदि कोई हो तो उसे 21 दिसम्बर, 1993 को 10.00 बजे तक लोक सभा सचिवालय में भेजा जाये।

6. समिति ने सभापति को और उनकी अनुपस्थिति में डा० वसन्त पवार को मंगलवार 21 दिसम्बर, 1993 को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

7. समिति ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों और विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के विधायी परामर्शदाता द्वारा किए गए सहयोग और सहायता के लिए उनकी सराहना की।

8. समिति ने लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सभी मामलों में किए गए कठिन परिश्रम और अमूल्य सहायता की भी प्रशंसा की।

9. समिति के सदस्यों ने भी समिति की कार्यवाही को बहुत ही सफल और निष्पक्ष रूप से पूरा करने और विधेयक के विभिन्न चरणों पर चर्चा को दिशा प्रदान करने के लिए सभापति की सराहना की ओर उनका धन्यवाद किया।

10. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।